

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली



विधायक का नाम : श्री श्रीदत्त शर्मा

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 93

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा घोण्डा विधान सभा के वार्ड नं. 44ई, 45ई, 46ई व 47ई के अंदर एल.ई.डी. लाइट किसी योजना के अंतर्गत लगाई जा रही हैं;	<b>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</b> घोण्डा विधान सभा क्षेत्र में एल.ई.डी. लाइटें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा ESCO मॉडल के अन्तर्गत लगाई जा रही हैं।
ख	यदि हाँ, तो यह कितने वॉट की है, कौन सी कंपनी की चोक है, कौन सी कंपनी की लाइट है व पोल लगाने के पश्चात इसकी कुल लागत क्या है ?	<b>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</b> एल.ई.डी. लाइटें जैसे की नेशनल लाइटिंग कोड 2010, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अन्तर्गत आने वाली रोड कैटेगरी के अनुसार लगाई जा रही है। ज्यादातर 150 वॉट एच.पी.एस.वी लाइटें 36 वॉट एल.ई.डी.लाइट्स से बदली जा रही हैं। लाइट बदलने वाली कम्पनी का नाम M/s eSmart Energy Solutions Pvt. Ltd. है। जैसा कि लाइट बदलने का कार्य ESCO मॉडल के अन्तर्गत किया जा रहा है। जिसका आधार ऊर्जा बचत करना है ना कि एल.ई.डी. लाइट्स की लागत है।

  
  
R. S. Parmar  
Dy. Secy. (Urban Development)  
Govt. of NCT of Delhi  
Delhi Secretariat